न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक /राजस्व कोर्ट/2021/ 902 दिनांक 18/06/21

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 42/2021 अनवान मीरोदेवी वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 136 RLR Act में न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2021 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 42/2021 अन्तर्गत धारा 136 RLR Act में निर्णय दिनांक 18.06.2021 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2021 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.06.25 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 42/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीनीगण – 1.मीरोदेवी पुत्री भीया पत्नि नारणाराम
2.रमजूदेवी पुत्री भीया पत्नि मगाराम
जाति मेगवाल, निवासी लखवारा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन 2.लेहरो 3.धापू 4.सुरती पि.भीया
5.खीया पुत्र पूराराम 6.ओपा 7.किरता 8.जेठा 9.भूरा पि.लाला
10.धर्माराम पुत्र चुतरा 11.तीडी पत्नि चुतरा 12.मदा पुत्र मूला
13.तेजा 14.मघा पि.शेरा 15.आदू पुत्र मोती
जाति मेगवाल, निवासी लखवारा, तहसील चौहटन।

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री जगदीश पोटलिया**

विप्रार्थी :– **श्री विक्रमसिंह (विप्रार्थी सं. 2 से 15)**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 18.06.2021

प्रार्थीनीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा लखवारा, तहसील चौहटन में प्रार्थीनीगण की खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 246 रकबा 17.19 बीघा, खसरा सं. 250 रकबा 23.10 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 88.07 बीघा एवं मौजा जूना लखवारा में खसरा सं. 261 रकबा 01.12 बीघा, खसरा सं. 262 रकबा 182.14 बीघा, खसरा सं. 299 रकबा 02.08 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित [illegible] प्रार्थीनीगण का नाम भूती एवं रामू दर्ज हुए,जो सही नहीं है। सही नाम [illegible] है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश अंकन राजस्व रेकर्ड में भुती व रामु कर दिया था। [illegible]बकि प्रार्थीनीगण के नाम अन्य दस्तावेजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.06.25 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Scanned by CamScanner

में मीरा व रमजु दर्ज है। इस प्रकार गलत रूप से अंकन नाम को प्रार्थीनीगण राजस्व रेकर्ड में मीरा व रमजु दुरस्त करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीनीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिख गया । तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण वकील उपस्थित हुऐ। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस बहस सुनी । बहस पर मनन किया । बहस में प्रार्थीनीगण ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन में निर्णय किया जावे । बहस में विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थीनीगण का आवेदन उन्हें स्वीकार है। तहसीलदार चौहटन से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार यदि प्रार्थीनीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीनीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा लखवारा, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 246 रकवा 17.19 बीघा, खसरा सं. 250 रकबा 23.10 बीघा, खसरा सं. 255 रकबा 88.07 बीघा एवं मौजा जूना लखवारा में खसरा सं. 261 रकबा 01.12 बीघा, खसरा सं. 262 रकबा 182.14 बीघा, खसरा सं. 299 रकबा 02.08 बीघा में प्रार्थीनीगण का नाम भूती के स्थान पर मीरादेवी एवं रामू के स्थान पर रमझू दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.06.25 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Scanned by CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) चौहटन

क्रमांक - भू०अ०/2021/787 दिनांक 15-6-2021

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो.
—चौहटन

विषय:- राजस्व आवेदन सं. 42/21 अनवान मीरादेवी वगैरा बनाम तहसीलदार—चौहटन वगैरा U/S 136 रेकर्ड में दुरूस्ती बाबत।

महोदयजी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व आवेदन सं. 42/21 अनवान मीरादेवी वगैरह बनाम तहसीलदार—चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 136 R.L.R Act के तहत खातेदारी भूमि मौजा लखवारा के ख.नं. 246, 250, 255 एवं जूना लखवारा के ख० नं. 201, 262, 299 में प्रार्थिया मीरादेवी व रमभू देवी का नाम दुरूस्त करवाने बाबत प्रकरण की जांच भू०अ०नि० —चौहटन से करवाई गई। भू०अ०नि० —चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि में दर्ज इन्द्राज भूती के स्थान पर मीरादेवी एवं रामू के स्थान पर रमभू सही व दुरूस्त है। उक्त भूती व मीरादेवी एक ही है तथा रामू एवं रमभू भी एक ही है। उपलब्ध रेकर्ड एवं मजमेआम जानकारी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज भूती के स्थान पर मीरादेवी तथा रामू के स्थान पर रमभू दर्ज किया जाना उचित है।

संलग्न- मौका रिपोर्ट
2. न्या. क.प्रति.
3. परिचय पत्र/राशन कार्ड/आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.06.25 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन

Scanned by CamScanner

मौका फर्द

आज दिनांक 7.4.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/520 दि. 5.4.2021 की पालना में बमुकाम जूना लखवारा में राजस्व आवेदन सं. 42/21 उनवान मीरादेवी वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन वगैरा अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ. खातेदारी रेकर्ड की प्रविष्टि दुरस्त करने संबंधी तथ्यात्मक जांच हेतु मराह प.ह. आंटिया एवं मौके पर उपस्थित सहखातेदार, मौतबिरान एवं सरपंच प्रतिनिधि से पूछताछ एवं रेकर्ड के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. जरिये ना.करण संख्या 125 मौजा जूना लखवारा में खातेदार भींया फौत के स्थान पर लेहरों भूती रामू धापु सुरती पुत्रियां भींया के नाम से स्वीकृत हुआ एवं मौजा लखवारा के ना.करण सं. 337 स्वीकृत अनुसार भींया फौत के स्थान पर लेहरों भूती रामू धापु सुरती पुत्रियां भींया का नाम स्वीकृत किया गया।

2. जमाबंदी संवत् 2070-73 स्वीकृत ना.करण के अनुसार लेहरों भूती रामू धापु सुरती पुत्रियां भींया का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा अ.द. किया गया जो कि यथावत् राजस्व रेकार्ड में चल रहा है।

3. मौके पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भूती का नाम मीरों एवं रामू का नाम रमइयू पाया गया।

4. मजमे-ए-आम में पूछताछ करने पर भूती व मीरों एक ही नाम होना बताया गया तथा रामू व रमइयू एक ही नाम होना बताया गया।

उपस्थित मौतबिरान [illegible] जाकर पढ़कर सुनाई गई तथा मौतबिरान के [illegible] करवाए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.06.25 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार [illegible]

[illegible] (विद्यार्थी वकील)

CS

भूती

चन्दाराम

प. आंटिया

[illegible] मौतबिरान

कमला चौधरी

कानाराम

पूनमाराम

रूपा

(कानाराम)

नरपत चौधरी

Scanned by CamScanner